

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1665/2024

पवन मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, उम्र लगभग 31 वर्ष, वर्तमान पता एफ-67,
वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)- 302021।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग (डीओपी), सचिवालय, जयपुर
(राजस्थान)-302005 के माध्यम से।
- पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर
(राजस्थान)-302015.
- उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग (डीओपी)-(बी), राजस्थान, सचिवालय, जयपुर
(राजस्थान)-302005
- सहायक शासन सचिव, कार्मिक विभाग (डीओपी)- (बी-1), राजस्थान, सचिवालय,
जयपुर (राजस्थान)- 302005

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री. त्रिभुवन नारायण सिंह
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री. अजय राजावत श्री. एसएस
राघव, एएजी के लिए

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन

आदेशरिपोर्ट योग्य02/02/2024

यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है।

बशीर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि निलंबन आदेश 24.02.2023 को राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा पारित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बशीर ने 23.08.2023 को ही उत्तरदाता के समक्ष निलंबन निरस्तीकरण और सभी परिणामी लाभों सहित सेवा में पुनः बहाली के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उक्त अभ्यावेदन अत्यंत विस्तृत था, जिसमें बशीर की शिकायत के साथ-साथ उससे संबंधित तर्क/स्पष्टीकरण भी शामिल थे। हालाँकि, उत्तरदाता द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर

कोई ध्यान नहीं दिया गया और परिणामस्वरूप, बशीर को यह याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि पीड़ित पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर ध्यान न देना राज्य की एक नियमित प्रथा बन गई है, जिससे उनके पास इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह प्रथा पहले से ही पीड़ित वादियों की आर्थिक स्थिति को और भी बिगाड़ देती है, क्योंकि मुकदमेबाजी का खर्च तो उन्हें ही उठाना पड़ता है।

न तो राज्य के विद्वान वकील दिनांक 23.08.2023 को अभ्यावेदन की सेवा के तथ्य पर विवाद करने में सक्षम थे, न ही वह उत्तरदाता-राज्य द्वारा अभ्यावेदन पर विचार न करने के तथ्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में सक्षम थे।

उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय यह ध्यान रखना उचित समझता है कि राज्य, संविधान और व्यवहार दोनों के अनुसार, एक कल्याणकारी राज्य है। राज्य से, अपने नागरिकों पर शासन करते समय, समान और उचित अवसर तथा उन नागरिकों के लिए सार्वजनिक उत्तरदायित्व के आदर्शों के आधार पर, उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण की रक्षा और संवर्धन की अपेक्षा की जाती है, जिन्हें जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन लगता है और/या वे ऐसा करने में असमर्थ हैं।

उपर्युक्त कर्तव्य के साथ, नागरिकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के प्रति 'प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता' होने का अंतर्निहित कार्य भी आता है, भले ही वे राज्य कर्मचारी के रूप में हों या अन्यथा।

साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि रिट न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विवेकाधीन दृष्टिकोण अपनाते हैं, जहाँ वैकल्पिक और प्रभावी उपाय की उपस्थिति में, न्यायालय अक्सर विवाद को उस वैकल्पिक प्राधिकारी को सौंपने पर विचार करते हैं, जो विशेषज्ञों से सुसज्जित हो या अन्यथा, विवाद पर विचार करने के लिए सक्षम हो। परिणामस्वरूप, सेवा मामलों में, प्राथमिक विशेषज्ञ और/या मुद्दे के संबंध में पूर्ण कुशाग्र बुद्धि रखने वाला निकाय स्वयं राज्य होता है, जो न्यायालय के समक्ष मुकदमे के पक्षों में से एक होता है।

इसलिए, पीड़ित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों का लगन से समाधान करके और प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में कार्य करके, राज्य स्वयं पर बहुत बड़ा उपकार कर सकता है और अपने समक्ष मुकदमेबाजी को काफी हद तक कम कर सकता है। कहने की

आवश्यकता नहीं कि राज्य स्पष्ट रूप से/स्पष्ट रूप से पीड़ित कर्मचारियों के पक्ष में अभ्यावेदनों का सकारात्मक ढंग से समाधान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बल्कि, उसे केवल उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में उचित आदेश पारित करना चाहिए, जो पीड़ित कर्मचारी की चिंताओं का समाधान उनकी इच्छानुसार कर भी सकते हैं और नहीं भी। हालाँकि, राज्य द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने से, भले ही शिकायतों का एक अंश ही हल हो जाए, जिसका खर्च राज्य के खजाने के साथ-साथ मुकदमा करने वाले कर्मचारियों द्वारा वहन किया जाता है, उन न्यायालयों में मुकदमेबाजी में भारी कमी आएगी जिनमें राज्य एक पक्ष है।

अन्यथा भी, राज्य को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 की भावना को अपनाना चाहिए/उसे मूर्त रूप देना चाहिए तथा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में पारित आदेशों के माध्यम से उनकी शिकायतों के निवारण का वास्तविक प्रयास करना चाहिए।

यह भी कहना ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को राज्य द्वारा अनदेखा करके, उन सरकारी कर्मचारियों के अनुचित आचरण को दर्शाता है, जिन पर राज्य कर्मचारियों सहित नागरिकों की सेवा करने और राज्य में उनका विश्वास बनाए रखने की महान ज़िम्मेदारी है। अभ्यावेदनों पर केवल निर्णय देकर, राज्य न केवल स्वयं सहायता करेगा, बल्कि मुकदमेबाजी की लागत कम करके वादियों, न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और राज्य के राजकोष के प्रति भी समान शिष्टाचार प्रदर्शित करेगा।

इस संबंध में, राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे राज्य के निकायों को निर्देश जारी करें कि वे पीड़ित पक्षों के अभ्यावेदनों पर विचार करें तथा उन्हें तत्काल आदेश के माध्यम से निपटाएं, ताकि पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी अदालतों में तुच्छ/अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी लाई जा सके।

परिणामस्वरूप, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तरदाता-राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह 23.08.2023 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर उचित और समय पर ध्यान दे और उसके बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर एक स्पष्ट आदेश पारित करे। यह अपेक्षित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, तत्काल याचिका का निपटारा किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव एवं विधि सचिव के कार्यालय में आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।

रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस आदेश की एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अनुपालन हेतु मामले को 04.03.2024 को सूचीबद्ध करें। मामले की सूची में महालेखाकार का नाम दर्शाया जाए।

(समीर जैन),जे

जे.के.पी/52

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate